# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

**अधिसूचना**

अ0सं0 :— 2/अ0प्र0–1–223/2012 3507 /पटना, दिनांक :— 27.11.19

चूँकि बिहार सरकार को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अनिसूर रहमान, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन 3054 मरम्मति योजनान्तर्गत पिरी बाजार से शिवनगर लोशधानी पथ एवं पिरी बाजार से घोसैठ पथ के मरम्मति कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिये बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि श्री अनिसूर रहमान, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अनिसूर रहमान, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(उदय कान्त चौधरी) 25/11/19

अवर सचिव

**ज्ञापांक** :— 2/अ0प्र0–1–223/2012 3508 (अ) /पटना, दिनांक :— 27.11.19

**प्रतिलिपि** :— आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–2 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :— यथोक्त।

25/11/19

अवर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

**ज्ञापांक** :–2/अ0प्र0–1–223/2012 3508(अ0) /पटना, दिनांक :– 27.11.19

**प्रतिलिपि** :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अनिसूर रहमान, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

25/11/19

अवर सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–1–223/2012 3508 /पटना, दिनांक:– 27.11.19

**प्रतिलिपि**:– मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, लखीसराय/प्रशाखा पदाधिकारी–6 एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/19

अवर सचिव



13